प्रकरण संख्या 74/2016 प्रभूलाल बनाम पूर्णाशंकर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.07.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 व उनकी माता श्रीमती गोदावरी ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त का खाता संख्या 809 नया 704 पुराना के खसरा नंबर 726, 1771, 1781, 2693/2, 2696, 3092, 3093, 3095/1, 3549, 3550/1, 3551/1, 3553 व 4327 कुल किता 13 रकबा 19 बीघा 6 बिस्वा भूमि ग्राम तलवाडा में स्थित है, जिसमें प्रत्येक का समान हिस्सा होकर 1/5, 1/5 हिस्सा है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजियात का उपरोक्तानुसार विभाजन किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया तथा जवाबदावे के विशेष कथन में बताया कि खसरा नंबर 726 का विक्रय हो जाने से उस पर वादीगण व प्रतिवादी का कब्जा नहीं है तथा विक्रय हो जाने से उसका बंटवारा नहीं हो सकता। शेष आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य 1/5, 1/5 हिस्से अनुसार विभाजन किया जावे। उन्होंने यह भी बताया कि आराजी नंबर 2696 में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मकान बने हुए हैं तथा आराजी नंबर 2693/2 में भी बाड़ा स्थित है तथा आराजी नंबर 2693 बाडे की भूमि मकान बनाने हेतु प्रतिवादी संख्या 4 को दिलायी जावे व शेष भूमि का 1/5, 1/5 हिस्से अनुसार विभाजन किया जावे। प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार बांसवाड़ा ने जवाबदावा प्रस्तुत कर बताया कि आराजी नंबर 726 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा पूर्व में ही बेचान शुदा है और इस भूमि को भी दावे में शामिल कर लिया गया है, जो गलत है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 3 से 6 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन कि विवादित आराजी नंबर 726 रकबा 4 बीघा 16	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:52:59 IST
Reason: SelfAttested

बिस्वा के खातेदार भूरीशंकर ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 3 से 6 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.05.1986 से विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। तब से कब्जा क्रेता प्रतिवादी संख्या 3 से 6 का चला आ रहा है, लेकिन विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 3 से 6 का नाम दर्ज नहीं हुआ है, जबकि प्रतिवादी संख्या 3 से 6 खातेदार कृषक होकर लगान भी अदा करते हैं। अतः प्रतिवादी संख्या 3 से 6 का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर आराजी नंबर 726 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन फरमाया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में 3 तनकियां कायम की गयी एवं पक्षकारों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 29.03.2012 से वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की एवं प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 11.02.2014 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी संख्या 2 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 16.09.2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री ललित पाटीदार एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3, 4, 6, 7 की ओर से वकील श्री मुकेश द्विवेदी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 प्रार्थी के हिस्से की कृषि भूमि में आकर धमकाने लगे तथा कहा कि यह खेत हमारे हिस्से में आया है और हम इसे बेच रहे हैं। तब प्रार्थी ने पटवारी से सम्पर्क किया तो उक्त निर्णय की जानकारी होने पर नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो उसे दिनांक 08.08.2016 को प्राप्त हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी [illegible] है। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अप[illegible] जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:32:59 IST
Reason: SelfAttested

अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने गुणावगुण पर बहस करते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय को प्रारम्भिक डिक्री के अनुरूप 1/5, 1/5 हिस्से का विभाजन कर अंतिम डिक्री जारी करनी थी, किन्तु अंतिम डिक्री उपरोक्तानुसार नहीं जारी की गयी एवं अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना मनमर्जी से बंटवारा कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। विभाजन में उसे सिर्फ 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि ही दी गयी है, जबकि अपीलान्ट के हिस्से में 3 बीघा भूमि आती है। प्रकरण में श्रीमती गोदावरी की भी मृत्यु हो चुकी है, जिसका 1/4 हिस्सा अपीलान्ट को तथा 1/4, 1/4 हिस्सा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 के निहित हो चुका है, जिस कारण अंतिम डिक्री 1/4, 1/4 हिस्से अनुसार पारित की जानी आवश्यक है। पूर्व में पारित अंतिम डिक्री अपीलान्ट की सहमति व जानकारी के विपरीत पारित की गयी है, जो निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2060 से 2063 में विवादित आराजी नंबर 726, 1771, 1781, 2693/2, 2696, 3092, 3093, 3095/1, 3549, 3550/1, 3551/1, 3553 व 4327 कुल किता 13 रकबा 19 बीघा 6 बिस्वा भूरीशंकर पिता लक्ष्मीराम के खातेदारी में दर्ज है एवं विरासत का नामान्तरकरण संख्या 3330 दिनांक 14.12.2004 से विवादित आराजी उनके पुत्र अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 तथा उसकी विधवा गोद[illegible] नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई है, ज[illegible] आराजी नंबर 726 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा का रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:52:59 IST
Reason: SelfAttested

24.05.1986 को ही खातेदार भूरीशंकर द्वारा हुका पिता गुलाब के पक्ष में किया जा चुका था, जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 2 से 5 हैं एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री जारी करते समय उनकी क्रय शुदा भूमि उनके हिस्से में रखी गयी है, किन्तु अंतिम डिक्री में भूरीशंकर के वारिसान को बराबर–बराबर भूमि दिया जाना प्रकट नहीं होता है, क्योंकि अपीलान्ट के हिस्से में 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि रखी गयी है, जबकि उसके अन्य भाईयों के हिस्से में अधिक भूमि रखी गयी है तथा विभाजन प्रस्ताव भी अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बंटवारे हेतु मौका कमिश्नर तहसीलदार, बांसवाड़ा को नियुक्त किया गया था। ऐसी स्थिति में तहसीलदार को सभी पक्षकारों को सूचना देकर स्वयं मौके पर जाकर एवं सभी पक्षों की उपस्थिति में फर्द बंटवारा तैयार करना चाहिए था। तत्पश्चात् यदि उक्त बंटवारे पर किसी पक्षकार को आपत्ति है तो उसका निस्तारण कर ही अंतिम डिक्री जारी की जानी चाहिए। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री प्रथम दृष्टया विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 11.02.2014 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में तहसीलदार बांसवाड़ा स्वयं मौके पर जाकर सभी पक्षकारों की उपस्थिति में फर्द बंटवारा तैयार करें, तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय प्राप्त फर्द बंटवारे के आधार पर नये सिरे से अंतिम डिक्री जारी करें। पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 06.09.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
...न्ध अधिकारी
... अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:52:59 IST
Reason: SelfAttested